न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **96/2020**
GCMSNo.- : **2020/00222**

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)।

बनाम

1. मांगूराम पुत्र छोगा
2. तुलछाराम पुत्र छोगा
3. ओगड पुत्र बाला
4. पांचा पुत्र बाला
5. सुगनी बेवा बाला
   जातियान– गुर्जर, निवासीगण– निम्बेटी (रास), तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज.)।
6. ऊंकारराम पुत्र हरजीराम
7. श्रवणलाल पुत्र हरजीराम
8. पांचूडीदेवी पत्नी हरजीराम
9. चौथा पुत्र लाला
10. नाथू पुत्र मोहन
11. छोटी पत्नी मोहन
12. कुनाराम पुत्र रेंवतराम
13. चन्द्राराम पुत्र रेंवतराम
14. हापुराम पुत्र रेंवतराम
15. नोरत पुत्र जीवणराम
16. पारसमल पुत्र जीवणराम
17. पुकिया पुत्र उदा
18. दुर्गाराम पुत्र पेमाराम
19. ओगडराम पुत्र पेमाराम
    जातियान– भाम्बी, निवासीगण– निम्बेटी (रास), तहसील– जैतारण, जिला पाली।
20. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.07/10/2020**

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– [illegible]:– 24/06/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व [illegible] 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम [illegible]स द्वितीय पटवार ह[illegible] रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 3131 रकबा 00 बीघा 01 बिस्वा किस्म गै.मुमकिन, खसरा नम्बर 3141 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा किस्म गै.मुमकिन, खसरा नम्बर 3142 रकबा 06–06

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 3143 रकबा 13-04 बीघा किस्म चाही दोयम की कुल खसरा 4 कुल रकबा 20 बीघा 00 बिस्वा आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादी 1/16 हिस्से यानि 1 बीघा 05 बिस्वा 00 बिस्वांसी भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादी को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 1/16 हिस्से यानि 1 बीघा 05 बिस्वा 00 बिस्वांसी हिस्से की भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी भूमि अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने हेतु तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 07.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है वादी अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने के अधिकारी है इसलिए यह दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वाद[illegible] का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का [illegible] वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी [illegible] किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही [illegible] यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडेंग, जिससे मल्टीप्लीसीटी आफ

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 20 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 07.08.2020 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादी को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास द्वितीय (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 20 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, परन्तु खसरा नम्बर 3131 रकबा 00 बीघा 01 बिस्वा किस्म गै.मुमकिन, खसरा नम्बर 3141 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा किस्म गै.मुमकिन होने से इनका बंटवाड़ा नहीं जा सकता है, शेष खसरा नम्बर 3142 व 3143 में वादी के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3142 रकबा 06–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 3143 रकबा 13–04 बीघा किस्म चाही दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड ब[illegible] के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग [illegible] करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर [illegible] जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक [illegible]कोर्ट/2021/09 दिनांक 04/01/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1261 दिनांक 03/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंट्याड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्याड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्याड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्याड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3142 रकबा 06–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 3143 रकबा 13–04 बीघा किस्म चाही दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	बनवारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)।	3143	01.04	चा0दो0	3.30
2	मांगूराम पुत्र छोगा हि0 65/366, तुलछाराम पुत्र छोगा हि0 65/366, ओगड पुत्र बालाराम हि0 65/1098, पांचा पुत्र बालाराम हि0 65/1098, सुगनी बेवा बालाराम हि0 65/1098 कौम–गुर्जर, सा0 निम्बेटी, ऊंकारराम पुत्र हरजीराम हि0 65/4392, श्रवणलाल पुत्र हरजीराम हि0 65/4392, पांचूडीदेवी पत्नी हरजीराम हि0 65/4392, चौथा पुत्र लाला हि0 65/1464, नाथू पुत्र मोहन 65/2928, छोटी पत्नी मोहन हि0 65/2938, चन्द्राराम पुत्र रेंवतराम हि0 65/1952, हापुराम पुत्र रेंवतराम हि0 65/1952, कुनाराम पुत्र रेंवतराम हि0 65/1952 RGMB रहन शाखा रास, नोरत पुत्र जीवणराम हि0 65/3904, पारसमल पुत्र जीवणराम हि0 65/3904, पुकाराम पुत्र उदा हि0 65/488, दुर्गाराम पुत्र पेमाराम हि0 66/1952, ओगडराम पुत्र पेमाराम 66/1952 कौम– भाम्बी सा0 निम्बेटी खातेदार।	3142	06.06	चा0दो0	17.33
		3143/1	12.00	चा0दो0	33.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)।

बनाम

1. मांगूराम पुत्र छोगा
2. तुलछाराम पुत्र छोगा
3. ओगड पुत्र बाला
4. पांचा पुत्र बाला
5. सुगनी बेवा बाला
   जातियान- गुर्जर, निवासीगण- निम्बेटी (रास), तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राज.)।
6. ऊंकारराम पुत्र हरजीराम
7. श्रवणलाल पुत्र हरजीराम
8. पांचूडीदेवी पत्नी हरजीराम
9. चौथा पुत्र लाला
10. नाथू पुत्र मोहन
11. छोटी पत्नी मोहन
12. कुनाराम पुत्र रेंवतराम
13. चन्द्राराम पुत्र रेंवतराम
14. हापुराम पुत्र रेंवतराम
15. नोरत पुत्र जीवणराम
16. पारसमल पुत्र जीवणराम
17. पुकिया पुत्र उदा
18. दुर्गाराम पुत्र पेमाराम
19. ओगडराम पुत्र पेमाराम
    जातियान- भाम्बी, निवासीगण- निम्बेटी (रास), तहसील- जैतारण, जिला पाली।
20. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 96/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा [illegible] रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी [illegible] जमीन खसरा नम्बर 3142 रकबा 06-06 बीघा किस्म चाही [illegible] 3143 रकबा 13-04 बीघा किस्म चाही दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	बनवारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश	3143	01.04	चा0दो0	3.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

	कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)।				
2	मांगूराम पुत्र छोगा हि0 65/366, तुलछाराम पुत्र छोगा हि0 65/366, ओगड पुत्र बालाराम हि0 65/1098, पांचा पुत्र बालाराम हि0 65/1098, सुगनी बेवा बालाराम हि0 65/1098 कौम-गुर्जर, सा0 निम्बेटी, ऊंकारराम पुत्र हरजीराम हि0 65/4392, श्रवणलाल पुत्र हरजीराम हि0 65/4392, पांचूडीदेवी पत्नी हरजीराम हि0 65/4392, चौथा पुत्र लाला हि0 65/1464, नाथू पुत्र मोहन 65/2928, छोटी पत्नी मोहन हि0 65/2938, चन्द्राराम पुत्र रैंवतराम हि0 65/1952, हापुराम पुत्र रैंवतराम हि0 65/1952, कुनाराम पुत्र रैंवतराम हि0 65/1952 RGMB रहन शाखा रास, नोरत पुत्र जीवणराम हि0 65/3904, पारसमल पुत्र जीवणराम हि0 65/3904, पुकाराम पुत्र उदा हि0 65/488, दुर्गाराम पुत्र पेमाराम हि0 66/1952, ओगडराम पुत्र पेमाराम 66/1952 कौम- भाम्बी सा0 निम्बेटी खातेदार।	3142 3143/1	06.06 12.00	चा0दो0 चा0दो0	17.33 33.00

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/06/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	03-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुतफर्रिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	Nil

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested